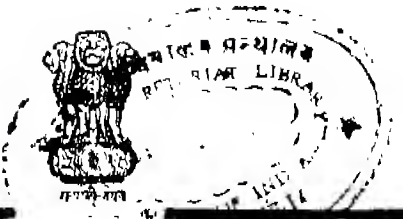
रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 1994/भाद्र 8, 1916
No. 356] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 1994/BHADRA 8, 1916

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 652(अ).—केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै. नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जिला बारामुला (जम्मू व कश्मीर) में उरी हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना में प्रयोग के लिए डिटोनेटर

एसेम्बली नान-इलैक्ट्रिक इग्नाम्टिंग यू.एन. 0361, क्लास 1.4 बी के आयात के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31(2) के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात :—

1. नागरिक विमानन महानिदेशालय और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाये, और उपयुक्त दो प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों का सख्ती से पालन किया जायेगा,

2. मै. नोबेल लिट्टो ए.बी., स्वीडन, 71382 नोरा द्वारा यू.एन. 0361, क्लास 1.4 बी के अनुरूप निर्मित डिटोनेटर संयोजनों का ही आयात किया जायेगा,

3. नियम 31 के उप नियम (2) के सिवाए, विस्फोटक नियम, 1983 में यथा अन्तर्विष्ट विस्फोटकों का रक्षण, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा;

4. विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन अनुज्ञप्त पर्याप्त संख्या में विस्फोटक वैन विमानपत्तन पर तैयार रखे जाएंगे जिससे कि विस्फोटक प्रेरकों को वायुयान से उसके उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके ;

5. वायुयान को विमान पत्तन पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्फोट प्रेरकों का वायुयान से विस्फोटक वैनों में अन्तरण आरम्भ करने से पहले महानिदेशक, नागरिक विमानन के परामर्श से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबंध कर वायुयान और विस्फोटक वैन के चारों ओर कम से कम 500 मीटर क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। इंतजाम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अन्तरण पूरा नहीं कर लिया जाता है और सम्यक रूप से बंद वैन स्थल नहीं छोड़ देती है। घेराबंद क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान और खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

6. विस्फोटक प्रेरक ले जा रही वैन विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन अनुज्ञात भण्डारकरण मैगजीन की ओर अग्रसर होगी और रास्ते में कोई अनुचित विलंब नहीं किया जाएगा और परिवहन के दौरान सभी सुसंगत नियमों और स्थानीय विनियमों का पालन किया जाएगा।

[फा. सं. 5(9)/94-डीपीआर/ईजीजीएस]

पी सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1994

G.S.R. 652(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M|s. National Hydro-Electric Power Corporation Ltd., New Delhi, from observance of rule 31(2) of the Explosives Rules, 1983, for import of Detonators assemblies non-electric blasting UN 0361, Class 1 4B for use in Uri Hydro electric Project in District Baramulla (Jammu and Kashmir) subject to the following conditions, namely :—

1. necessary clearances are obtained from the Director General of Civil Aviation and the International Airport Authority of India ; and conditions if any, imposed by the above two authorities shall be strictly complied with ;

2. the Detonators assemblies manufactured by M|s. Nobel, Nitro AB Gyhorp, 715 82 Nora conforming to UN 0361, Class 1.4B only shall be imported ;

3. the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the Explosives Rules, 1983, except sub-rule (2) of rule 31, shall be strictly complied with ;

4 adequate number of explosives vans licensed under the Explosives Rules, 1983, shall be kept ready at the airport so that the Detonators assemblies can be removed from the aircraft after its landing expeditiously ;

5 the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of at least 500 metres around the aircraft and explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of Detonators assemblies from aircraft to van is started. The arrangement shall continue till such transfer is completed and the duly locked leaves the site. No smoking or use of naked light shall be permitted within the cordoned area ; and

6. the vans carrying Detonators assemblies shall proceed to the storage magazines licensed under the Explosives Rules, 1983, and no undue delay shall be made on the way and all relevant rules and local regulations shall be observed during such transport.

[File No. 5(9)|94-DPR|EGGS]

P. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994